

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS—

हिन्दुस्तान

DATED—

नई दिल्ली, शनिवार, 28 मई 2022

हाईकोर्ट ने सरकार को प्रस्ताव पर विचार करने का आदेश दिया

मच्छरों का लार्वा मिला तो लग सकता है भारी जुर्माना


सख्ती

50 हजार रुपये तक हो सकती है जुर्माना रशि | 200 डॉट सीट विनिर्देश किए गए हैं ड्यू ममलों की ठेक्याग के लिए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अगर आपके घर और आसपास बीमार फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पाया जाता है तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम 50 हजार रुपये तक हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपायों के तौर पर कानून में संशोधन करने और जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपये को बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बिपिन खोशे और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा है कि मच्छरों का लार्वा मिलने पर पीके घर ही मोटा जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यदि लोगों के मन में कठोर कार्रवाई और मोटा जुर्माना लगाने का डर बैठ गया तो वे फिर अपने घरों में मच्छरों के प्रजनन को नहीं फैलाने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, पीठ ने कहा कि मच्छरों के प्रजनन और लार्वा को बढ़ावा देने में यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो जुर्माने की रकम 5000 तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब



इमारतों में जाल लगाने पर विचार करें

उच्च न्यायालय ने डीडीए को मच्छरों से बचने के लिए इमारतों में अनिवार्य रूप से जाल लगाने के बारे में विचार करने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पीठ ने एक अधिकृत के सुझाव पर डीडीए को यह निर्देश दिया है। अधिकृत ने इस बारे में कुछ दस्तावेज भी पेश किए। इन दस्तावेजों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी भेजा गया था।

नई दिल्ली पब्लिक प्रिपर ने कहा कि लार्वा मिलने पर जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने पर विचार कर रहे हैं।

प्रिपर ने कहा कि दोषी पार् जाने पर पीके पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को और से अधिकतम संप्रकाश ने पीठ को बताया कि मौजूदा जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जबकि नगर निगम ने जुर्माने की रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन

पीके पर जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था। इस मामले में निवृत्त न्याय मित्र व अधिवक्ता राजत अर्नजा ने पीठ को बताया कि पीके पर जुर्माना लगाने के प्रावधान से मच्छरों के प्रजनन पर रोक में सफलता मिलेगी।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को इन पहलुओं के बारे में विचार करने और अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। उच्च न्यायालय पिछले साल तेजी से डंगू के मामले बढ़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 28 मई 2022

अब बन सकेंगी और ज्यादा ऊंची मल्टीलेवल पार्किंग

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली : डीडीए ने मल्टीलेवल कार पार्किंग के नियमों को लेकर मास्टर-प्लान 2021 में एक बार फिर संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब नई मल्टीलेवल कार पार्किंग साइट्स में ऊंचाई संबंधित रोक नहीं होगी। डीडीए अधिकारियों के अनुसार, हालांकि इसके लिए संबंधित सिविल एंजिनियर्स को मंजूरी देनी होगी।



मास्टीलेवल कार पार्किंग की सड़क 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के साथ होनी चाहिए। साथ ही इसकी विभिन्न एंजिनियर्स जैसे संबंधित सिविल एंजिनियर्स व ट्रैफिक पुलिस से रिजिस्ट्रारिटी रिपोर्ट भी होनी चाहिए। इन बदलावों को लेकर 45 दिनों के अंदर सुझाव व आपत्तियां मांगे गई थीं। लेकिन इतने दिनों में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला है। जिसके बाद इसका ग्लोबल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार संशोधन के अनुसार

मीट मार्केट की आधी दुकानें सील

■ प्रस, नई दिल्ली : बावर्दी भोड़ के पास मीट मार्केट को नियमित करने के लिए पार्थी ने पिछले 5 सालों से पतितवें बनाने की कवापदे की थी, उनका कार्यक्षमता खत्म होने ही एमसीडी ने मर्केट की आधी दुकानें सील कर दी हैं। मीट मार्केट के एक हिस्से में बर्षे 16 दुकानें शुक्रवार को सील कर दी गईं। दूसरे हिस्से में बनी 20-22 दुकानों को सील करने के लिए डीडीए से रिपोर्ट मांगी है। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार जैसे ही साइड एमसीडी पार्थी का कार्यक्षमता खत्म हुआ, राईस के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की। बाकी दुकानें सील करने के लिए एमसीडी ने डीडीए से रिपोर्ट मांगी है।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 28 मई 2022

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS: नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 28 मई 2022 | ED

सीसीटीवी और गेटों से दिलशाद गार्डन ओ-पॉकेट सुरक्षित बनाने की पहल 'रात को खुला रहता है सिर्फ एक गेट, सेंधमारी-चोरी पर कंट्रोल'

Shanker.Singh
@timesgroup.pc.com

Photos: Surender Kumar

■ नई दिल्ली: यमुनगढ़ के सोमापुरी थाना इलाके में आता है दिलशाद गार्डन का ओ-पॉकेट। दिलशाद कॉलोनी के करीब ये दिलशाद गार्डन का अंतिम छोर है। एनबीटी सुरक्षा कवच के तहत इस पॉकेट को सुरक्षा ऑडिट के लिए चुना गया। सोमापुरी थाना पुलिस, रैजिस्ट्रार वेलफेयर असोसिएशन, मार्केट वेलफेयर असोसिएशन और सैनियर सिटीजन फोरम के साथ पॉकेट के सुरक्षा इंतजामों और समस्याओं का जायजा लिया गया। कॉलोनी में गेट लगे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार में पंजी और स्थानीय विधायक की तरफ से जादू अभी और कैमरे लगाने हैं।

अंगुष्ठा लगाने को बने बूथ: ओ-पॉकेट सोमापुरी विधानसभा एरिया में पड़ता है, जो निगम के दिलशाद गार्डन जॉर्ड में आता है। डीडीए के 434 जनता फ्लैट्स तहिरपुर की तरफ हैं। अरुणकुमार सचिव संजय जैन ने बताया कि मंदिर वाली गली से डिस्ट्रिक्ट पार्क के बगल वाली सड़क से सीधे करुणा हॉस्पिटल वाले रोड पर निकल जा सकता है।

स्ट्रीट क्रिमिनल इसी का इस्तेमाल वाहन के लिए करते हैं। एक्टरों विनय ने कॉलोनी वाले मरविश के बाद दोनों तरफ अब पुलिस पोस्ट बनाने का काम शुरू किया। इसे जल्द चालू किया जा रहा है। यहां रात को 'कर-ओ-बार' भी चलता है। पुलिस ने कई युवकों को पकड़ा भी है।

सिर्फ एक गेट खुला: पॉकेट में 11 गेट लगाए गए हैं, जिनमें से तीन में गेट हैं। बसलेनी वाली बस कहना है कि अगर तीन में से दो गेट बंद हो जाएं तो बाहरी लोगों की आवागमन पूरी तरह से रोक जा सकती है। लेकिन कॉलोनी के भीतर दुबाने भी हैं। इसको बगल सिर्फ एक ही गेट बंद हो पाता है। वो तरफ के मेन गेट खुले रहने से बाह्य सभ्यता एक तरफ से मुश्किल दूसरी तरफ से आसानी से निकल सकते हैं। अरुणकुमार के अध्यक्ष प्रवीण कसमान कहते हैं कि रात के समय एक ही गेट खुला रखा जाता है, जिस पर गार्ड बैठा रहता है। इसलिए सेंधमारी और चोरी की वादों पर अंकुश लगा है।

सीसीटीवी कैमरों से लैस: दिल्ली सरकार से करीब 20 कैमरे लगाए गए



सुरक्षा ऑडिट के दौरान सोमापुरी पुलिस और लोगों ने पॉकेट के सुरक्षा इंतजामों और समस्याओं का जायजा लिया



कॉलोनी में गेट और कैमरे



हैं। इसके लिए बस करोबारियों ने अपनी दुकान और रैजिस्ट्रार ने अपने धर्म के बाहर लगभग 15 सेरेनोटीवी कैमरे लग रखे हैं। सभी चालू हालत में हैं, जिनकी रिपोर्टिंग बकल पढ़ने पर आसानी से मिल जाती है। तहिरपुर रोड के साथ डीडीए का डिस्ट्रिक्ट पार्क है।

स्थानीय लोगों ने काया कि जहां पर अबाद और अपराधी किस्म के लड़कों के जमावड़ा लगा रहता है। दिलशाद गार्डन के सभी पार्कों में ओपन एयर जिय और नए खुले लगाए गए हैं, लेकिन उनका पॉकेट इससे जंचित है। सेटल पार्क पुनर्जा हुआ है, जो टूट पड़ा है। गंद पानी भी एक समस्या है।

“ पॉकेट में चार पार्क हैं, जिनका रखरखाव निगम नहीं कर रहा है। इसलिए मोहल्ले के लोगों ने खुद ही पार्कों को डिवेलप करने का फैसला किया। फिलहाल एक पार्क सुंदर बना दिया गया है। - प्रवीण करारन, अध्यक्ष अरुणकुमार



“ मंदिर वाली सड़क डिस्ट्रिक्ट पार्क के बगल वाली रोड से मिलती है। दोनों गेट खुले रहने से बदमाशों को खुला रास्ता मिल जाता है। हालांकि अब दोनों तरफ पुलिस पोस्ट बन रहे हैं। - संजय जैन, सचिव अरुणकुमार



“ करुणा हॉस्पिटल वाले रोड पर कॉलोनी से लगता हुआ पीडब्ल्यूडी का नाला है, जिसकी लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। हल्की बारिश होने पर पानी सड़क पर आ जाता है। - एनपी जैन, सहायक नार्कट असोसिएशन



“ पानी वर्षा की समय से गंदा आ रहा है और बदबू आती है। यहाँ बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बीमारियों को खतरा बना रहता है। - ओमपाल सिंह, स्थानीय निवासी



“ तहिरपुर रोड से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट पार्क है। इसके आसपास कुछ लोग तारों को जलाते हैं, जिससे पल्युशन फैलता है। पार्क के भीतर कुछ नशेड़ी बैठे रहते हैं, जो चारदातें भी करते हैं। - राधा कृष्ण, सचिव सैनियर सिटीजन फोरम



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, MAY 28, 2022**

Traffic police draw up list of 200 waterlogging hotspots in capital

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, MAY 27

AHEAD OF the monsoon season, the Delhi Traffic Police identified 211 waterlogging hotspots and has written to all civic agencies concerned — Public Works Department (PWD), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA), Irrigation and Flood Control Department — to install pumps and desilt drains on time to prevent flooding.

Of the total hotspots, 132 (mostly stormwater drains) are under the PWD as compared to 147 locations last year, showing an improvement, said officials.

"Desilting work has started in several divisions and the first phase will be completed by June 15. We have also identified 15 critical locations where underground sumps, with a capacity of nearly 7-7.5 lakh litres, and permanent pump houses, with more than 500 horsepower, are being constructed to release water immediately," said a senior PWD official.

The department is also constructing stormwater drains which will have the capacity to drain out 60 lakh litres of water per hour. Some critical locations where sumps, permanent pump houses and stormwater drains

MONSOON PREP

211 waterlogging hotspots

132 spots under PWD this year

147 under PWD last yr

JUNE 15: Target to complete Phase 1 of desilting



are being constructed include Pul Prahaladpur underpass, IP Estate in front of WHO building, under Zakhira flyover, Jahangirpuri Metro station, Loni Road roundabout, Azadpur market underpass among other areas.

Waterlogging is a perpetual issue in the national capital. Delhi also saw its wettest monsoon in 46 years last year — the IMD's Safdarjung observatory, which provides representative data of the city, recorded 1,136.8 mm of rainfall between June 1 and 2.30 pm on September 11, 2021.

"We have started our monsoon preparation earlier this

year. Instructions have been issued to all engineers and officers concerned for immediate action," added the official. Further, all district magistrates (DMs) are holding meetings with Delhi Police and other departments concerned on the issue of waterlogging.

PWD Minister Manish Sisodia had earlier directed the department to complete desilting work by May 31 and said strict action will be taken against the officer concerned in case of laxity. However, officials said, only 40% of the work has been completed so far.

CRITICAL AREAS



"By June 15, 100% desilting will be done," said another official.

According to officials in the Irrigation and Flood Control department, which handles 57 large drains in the city, 85% desilting work is completed and the rest will be done in next two weeks.

The PWD, which maintains around 1,400 km of key roads, is also installing 14 new pumps, repairing around 130 pumps, and is also installing hooters, alarms, and CCTV cameras to ensure live feed of water flow at critical locations.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

संकेत नवभाषा टाइम्स | नई दिल्ली | 29 मई 2022

ATED

अशोक विहार में वर्ल्ड क्लास नर्सरी बनाने का प्लान, LG ने किया दौरा

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जैन फरर बढ़ने पर खासा और दे रहे दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को अशोक विहार के खोजा वाला बाग का दौरा किया। यहाँ 25 एकड़ का एक पॉट खाली पड़ा हुआ है। एलजी का इरादा है कि यहाँ पर एक ऐसी विश्वस्तरीय नर्सरी बनाई जाए, जिसे इसी दृष्टिकोण से रूप में डिज़ाइन करके उसका दोहरा प्रभाव उत्पन्न हो सके। इस जगह पर कैसे हरियाली विकसित की जाए, इस संबंध में एलजी ने डीडीए के अधिकारियों से इस पर के अंदर पूरी टाइनलाइन के साथ एक ठोस प्लान तैयार करने के लिए कहा है। विभिन्न के दौरान एलजी के साथ एमसीडी के स्पेशल अधिकार, डीडीए के वॉर्स और एमसीडी कमिशनर सपेत इंटिफिकेशन डिपार्टमेंट के



एलजी का इरादा नर्सरी को इसी दृष्टिकोण से रूप में डिज़ाइन करने का है



परिष्कृत अधिकारी भी मौजूद रहे।

एलजी का मानना है कि प्रस्तावित नर्सरी न केवल बागवानी से जुड़ी दिल्ली में तमाम जलवायु को पूरा करने का एक बड़ा माध्यम बनेगी, बल्कि इसे इसी दृष्टिकोण के लिए दिल्ली के लोगों को परंपरागत जगह के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा। करीब 25 एकड़ में फैली यह जगह अभी बंकर हालात में है, लेकिन जब इस पर

विश्वस्तरीय नर्सरी बनेगी, तो यहाँ कई तरह के हर्बल, मेंडिसिनल और अन्य तरह के पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जहाँ हरियाली के साथ बॉयिंग टेक्स, कैपेडेटिया और हल-भरा तीन बनाने, नागरिक सुविधाएँ, नईया बनाने और तरह-तरह के फूलों और पौधों को प्रदर्शनों लगाने की भी योजना है।

Sunday Hindustan Times

NEW DELHI
SUNDAY
MAY 29, 2022

[IN NORTHWEST DELHI'S ASHOK VIHAR]

LG asks DDA to plan 'world-class' nursery

HT Correspondent

lntimes@hindustantimes.com

NEW DELHI: Two days after taking charge, Delhi Lieutenant governor (LG) Vinay Kumar Saxena on Saturday directed the Delhi Development Authority (DDA) to come up with a concrete timeline for developing a "world-class" nursery in north-west Delhi's Ashok Vihar within a week.

A statement from the LG's office said Saxena inspected the proposed 25-acre plot situated in Khoja Wala Bagh at Ashok Vihar on Saturday and directed DDA officials to identify the nursery in such a way that it can also act as

A STATEMENT FROM SAXENA'S OFFICE SAID HE INSPECTED THE PROPOSED 25-ACRE PLOT IN KHOJA WALA BAGH AT ASHOK VIHAR

an eco-park for visitors.

"The L-G issued instructions to the DDA — the agency owning the identified land — to put forth a plan of action with concrete timelines in a week's time. The idea is also to prevent degradation of

unused land, check encroachment and create a green space where different tenets of sustainable development could co-exist," said the statement.

According to the statement, the plot, which is currently fallow, once developed, will have different varieties of indigenous, medicinal, exotic, ecology and topography-compliant flora available for use by government agencies as well as citizens. It is also expected to feature landscaped greens, a cafeteria, walkways, public utilities and flower display to attract visitors.

"Being developed in the midst of the Wazirpur industrial area,

this green patch will go on to serve as the much-needed oxygenating lungs of the hitherto polluted neighbourhood. Heavy foot-fall is expected from residents of surrounding areas, including Ashok Vihar, Wazirpur, Shalimar Bagh, Azadpur and other residential colonies," said a spokesperson from the L-G office.

Situated beside the Jailor Wala Bagh "in-situ slum rehabilitation" project under the flagship Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme (PMAY) by the DDA, the nursery will provide an "enhanced eco-friendly environmental experience" to the "most deprived sections", the official said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 29, 2022

Committee to take a call on deletion of 230 waterbodies

Priyangi Agarwal@timesgroup.com

New Delhi: After the Wetland Authority of Delhi received requests from land-owning agencies to delete 230 wetlands from the identified list of 1,046 waterbodies, field squads have been preparing red documents for each wetland in its current state. An expert committee will review these documents to recommend whether they need to be retained on the list, deleted, or if their revival is possible.

The land-owning agencies have informed the authority that buildings, public services, unauthorised colonies, drains, agricultural land and others have come up at these places. Of the total 230 such waterbodies, 221 are under Delhi Development Authority, six under Delhi Jal Board and three are under the revenue department.

A senior official of the authority said, "Red documents have been prepared for 194 waterbodies so far, and work is underway for the remaining waterbodies. Our target is to place red documents of these 230 wetlands before the expert committee by May 31."

C R Babu, professor emeritus and head of the Centre for Environmental Management of Degraded Ecosystems, who is heading the expert committee, said, "The requests of deletion of waterbodies from the list suggests that they are on the verge of extinction. The field squad is preparing red documents listing the present condition of wetlands, like if there is a scope of rejuvenation or they have been converted into sewage ponds or human settlement or they have been encroached upon."

As not a single waterbody in Delhi has a wetland tag under the Wetlands (Conservation and Management) Rules of 2017, at least 20 in the capital are expected to be notified this year. The wetland authority has decided to complete the process of sending a recommendation to the state government for notification by August 2022 and the final notifications by December 2022.

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 29, 2022

Eco park on the cards at Ashok Vihar, LG seeks plan in a week

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor Vinai Kumar Saxena on Saturday asked Delhi Development Authority (DDA) to explore the possibilities of developing a world class nursery-cum-ecotourism hub in north Delhi's Ashok Vihar.

The LG, accompanied by top bureaucrats, including DDA vice-chairman, MCD special officer and MCD commissioner, visited a few possible locations and ultimately zeroed down on a 25-acre land parcel in Ashok Vihar's Khoja Wala Bagh. Saxena has issued instructions to DDA, which owns the proposed plot of land, to prepare the action plan with concrete timelines within a week.

This was Saxena's third field visit since he took over as the LG.

The proposed nursery, said officials, will not only serve as a common and extensive resource pool for sourcing horticultural requirements of the city but also serve as a favoured destination for ecotourism for the citizens and visitors of Delhi. "The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment of land and create a green space where different tenets of sustainable development could coexist," said an

official, adding that there would be negligible use of concrete on the project.

To come up on 25 acres of fallow and wasteland, the nursery once developed will have different varieties of indigenous, medicinal, exotic, ornology and topography compliant flora available for use by government agencies as well as the citizens, the LG office said in a statement. It will also house landscaped greens, cafeteria, walkways, public utilities and an flower display that would serve as a re-creational destination and tourist attraction.

Situated right beside the Jallor Wala Bagh, an in situ slum rehabilitation project of DDA under the flagship Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme, the nursery will not only provide an enhanced eco-friendly environmental experience to the most deprived sections but will also serve as a go-to health and recreational destination for surrounding areas, including Ashok Vihar, Wazirpur, Shalimar Bagh, Azadpur and other residential colonies of north Delhi.

With the industrial area of Wazirpur just a stone's throw away, officials said the eco park would also help in maintaining the oxygen level of the polluted neighbourhood.

06

WATER BODIES UNDER DELHI JAL BOARD

25

ACRE LAND CHOSEN FOR THE ECO PARK

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS:

TEDE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2022

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2022

स्वागतयोग्य योजना

दिल्ली में पहली विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने की उपराज्यपाल की योजना स्वागतयोग्य है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। उपराज्यपाल विनय कुमार सम्सेन ने शोध ग्रहण के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर निकलकर यहां की समस्याएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राजधानी में विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने के लिए स्थान का चयन करने के उद्देश्य से उन्होंने शनिवार को विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद बाहरी दिल्ली क्षेत्र के अशोक विहार में खोज वाला बाग इलाके में 25 एकड़ भूमि चयनित की। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एक सप्ताह में पूरी योजना बनाकर दें।

देश की राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या पूरे साल रहती है। इसकी वजह से दिल्ली के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। इस समस्या के मद्देनजर यह जरूरी है कि यहां पर्यावरण को बेहतर बनाने के विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली को दुनिया का एक बेहतरीन महानगर बनाने के लिए उसके सुंदरीकरण पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में उपराज्यपाल को दिल्ली में विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने की योजना इन दोनों पहलुओं से खासा लाभदायक साबित होगी। यह नर्सरी न सिर्फ दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर लगाने के लिए बड़ी संख्या में पौधे उपलब्ध कराएगी, बल्कि पर्यावरण से जुड़े पर्यटन के मद्देनजर भी लोगों व राजधानी में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। दिल्ली के लोगों को सेहत के लिए भी यह योजना काफी लाभदायक साबित होगी। ऐसे में डीडीए की उपराज्यपाल के निर्देशों पर अमल करते हुए जल्द इस योजना को धरातल पर लाना चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ जल्द मिल सके।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विश्वस्तरीय नर्सरी बनाने जैसे कई कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है

तीन महीने के लिए फिर खुला लैंड पूलिंग पोर्टल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को लैंड पूलिंग पोर्टल को तीन महीने के लिए फिर खोल दिया। अब किसान 28 मई से 28 अगस्त तक अधिकांश के लिए अपनी जमीन को डीडीए के पास पंजीकृत कर सकते हैं। परचवरी में पोर्टल को बंद कर दिया गया था। लैंड पूलिंग नीति में कुछ बदलाव के बाद इसे फिर खोला गया है।

केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2018 को लैंड पूलिंग नीति को अधिसूचना जारी की थी। शुरुआती दौर में कुछ गांवों की जमीन को शहरी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा न होने के कारण इसके तहत में नहीं रखा गया था। लेकिन, बाद में कुल 109 सेक्टरों में विभाजित कर इस योजना को उड़ गांव में जोड़ दिया गया। योजना के तहत दिल्ली में 17 लाख आवास बनाए जाएंगे हैं।

जून 2018 में सेक्टर 10 व 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

- 28 मई से 28 अगस्त तक भू-प्राधिकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- डीडीए के पोर्टल के जरिये भू-स्वामी से सकते हैं अपने दस्तावेजों का अपलोड कर सकते हैं।

जोन एन में सेक्टर 10 और जोन एल में सेक्टर 11 में जल्द किसानों के सरकारी दस्तावेज बनाए जाएंगे। इसके बाद निवेशकों-विकासकों के साथ बैठक होगी। फिर 60 और 40 के समूहों पर सेक्टरों को विकसित किया जाएगा। डीडीए ने विशेष पोर्टल भी बनाया है जिसके जरिये भू-स्वामी अपने दस्तावेजों या आवेदन संबंधी जानकारी ले सकते हैं। योजना में जोन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-2 में आने वाले 104 गांव शामिल हैं। यह पूरा क्षेत्र 129 सेक्टरों में विभाजित है। यदि भू-स्वामी कोर्टोर्नियम बनाने में विफल रहते हैं,

य उस विशेष सेक्टर में 70 प्रतिशत शामिल प्लट भूमि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में नोटिस रद्द हो जाएगा। लैंड पूलिंग क्षेत्र में सभी सेक्टरों के लिए भू-स्वामियों के नक्शों के विवरण डीडीए की वेबसाइट डबल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जीओवी डॉट इन/रेजिस्ट्रार-मेंस पर उपलब्ध हैं। सेक्टर-जोन में 210 हेक्टेयर विक्री योग्य भूमि शामिल है, जिसमें से 156 हेक्टेयर भूमि वाले भू-स्वामी विकास के लिए आगे आए हैं। इसमें भी पूरा को गई भूमि शामिल नहीं है।

दिल्ली जल 10 दिसंबर, 2021 को पतिसी के लिए पंजीकरण खोला गया था, जो 28 फरवरी, 2022 को समाप्त हुआ। 10 दिसंबर तक डीडीए को मिली 7275.45 हेक्टेयर जमीन में 28 फरवरी तक 344.05 हेक्टेयर जमीन का और इजाजत हुआ है। यानी, अब 7619.95 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हो चुकी है।

डीडीए की खाली जमीन पर बनेगी विश्वस्तरीय नर्सरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 25 एकड़ खाली जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी तैयार की जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सम्सेन ने शनिवार को खोज वाला बाग अशोक विहार में स्थित इस जमीन का निरीक्षण किया। यहां बनने वाली नर्सरी में न सिर्फ देशी-विदेशी पौधों को तैयार किया जाएगा, बल्कि इसे राजधानी में इको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र भी बनाया जाएगा।

उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने के साथ ही लगातार राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे विनय कुमार सम्सेन शनिवार को अशोक विहार पहुंचे। उन्होंने यहां डीडीए की जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी और इको-टूरिज्म हब बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह में डीडीए को इस पूरी योजना का व्यवस्था देकर करने को कहा है।



निरीक्षण के दौरान एक्सपर्टों के विशेष अधिकारी, डीडीए उपप्रधान, निगम आयुक्त व अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।

प्रदेशी व दुर्लभ किस्म के पौधे भी होने चाहिए: नर्सरी में स्थानीय प्रजाति के साथ-साथ विदेशी और

दुर्लभ किस्म के पौधे भी तैयार होंगे, जिनमें सरकारी विभागों के साथ-साथ नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। कैफेटेरिया और पैदल पथ बनेंगे। पर्यटन के लिहाज से भी इसे एक आकर्षक जगह के तौर पर तैयार किया जाएगा। यह जगह वज्जिरावत

- अशोक विहार में 25 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, उपराज्यपाल ने शनिवार को किया साइट का दौरा
- देशी-दुर्लभ का बनाया जाएगा बड़ा केंद्र, एक सप्ताह में व्यवस्था देकर करने का दिया गया है निर्देश
- सरकारी विभागों के साथ ही नागरिकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे यहां तैयार होने वाले दुर्लभ पौधे

● अशोक विहार में डीडीए की खाली जमीन पर नर्सरी बनाने को लेकर अधिकारियों से वार्ड कन्वेंटर उपराज्यपाल • सी. राधकृष्ण

औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसलिए इस पूरी जगह को हरा-भरा बनाने से लोगों को ज्यादा आकर्षण भी मिलेगा। इससे लोगों को कुछ हद तक प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा।

स्वागतयोग्य योजना

• समाचार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **THE SUNDAY EXPRESS, MAY 29, 2022**

Experts divided on lakhs of trees along floodplains

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, MAY 28

FIERCELY GUARDED from grazing cattle on the Yamuna's floodplains in Northeast Delhi's Garhi Mandu are lakhs of saplings and trees planted there in lieu of those felled for infrastructure projects. Sections of the floodplain near the Signature Bridge are visibly green, even from a distance.

Such dense plantations on the active floodplains are not desirable, said A K Gosain, professor emeritus at IIT-Delhi, who is a member of the expert committee constituted on orders of the NGT to monitor rejuvenation of the river and its floodplains. "This is the active floodplain, which means it gets inundated every year. Anything that you put here is a resistance to the flow. Plantations should be as far from the floodplain as possible," he said.

Repeated flooding also means it is difficult to protect saplings. Several hectares of the floodplains where saplings have been



Compensatory plantation on the floodplains in Northeast Delhi's Garhi Mandu. Express

planted is low-lying land that is flooded in the monsoon. The last time the area witnessed major flooding was in 2019, said a forest department staffer in charge of the plantation sites at Garhi Mandu. If the water recedes quickly, there is no damage to trees, he said. But in some parts of

the floodplains, like a patch at Shastri Park, saplings were destroyed by water that remained stagnant for a long while. Around 16,000 saplings will be planted in the area this year, said Aditya Madanpota, Deputy Conservator of Forests, Central Division, adding that suitable species like

sheesham, that can withstand flooding, would be planted.

To illustrate, large swathes of a 19-hectare patch used for compensatory afforestation of an NHAI project are densely covered in trees planted in the 2019-20 financial year. But small patches were inconspicuously empty — the

saplings have been planted, but have not quite made it. "The trees that survived are on higher land," the forest department official said.

In the Central Forest Division, within which much of the floodplain falls, compensatory plantation has been carried out on 245 hectares, with 2,17,789 saplings, as per records.

Additionally, around 357.6 hectares was handed over by DDA to the Forest department for plantation activity from 1975 onwards. Around 1,63,000 saplings were planted here. At Garhi Mandu, a total of 42.1 acres of land is now a 'city forest', where there's a mud track for walks.

In January, at a meeting of the expert committee, Gosain noted, as per the minutes: "Delhi government should be directed that such compensatory activities should be prevented in the floodplains and if required, be only carried out in the outermost area of the floodplain, where floodwater reaches only in 1 in 50 year or so."

However, Shashank Shekhar, professor, Department of

Geology, Delhi University, said. "If it's a native species which is suitable for the river banks, then it's good." The plantations must be done in a scientific manner, with the correct species, and must not be monoculture plantations, he added.

Faiyaz Khudsar, scientist in-charge of the Biodiversity Parks Programme and the Yamuna Biodiversity Park, identified species that are suitable for the floodplains — trees like kadamb, sheesham, arjun, semal and jamun for the top storey, and others like amla, bael and doodhi for the middle storey. While the forest department has planted some of these species, it has also used some that are not usually found in such areas. Neem, pilkhan and jungle jalebi, for instance, are not suitable species for the floodplains, Khudsar said.

At a plantation site near the Shastri Park Metro station, out of 3,244 trees planted, 850 were jungle jalebi, 560 were pilkhan trees and more than 180 were neem trees.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

Hindustan Times

DATED-

NEW DELHI
MONDAY
MAY 30, 2022

City to get 20 'mini forests' as part of green plan; focus on East Delhi's congested spots

Paras Singh

paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Municipal Corporation of Delhi plans to develop at least 20 mini forests in densely populated areas, especially in the heavily concretized tans-Yamuna region, as part of its annual greening action plan for 2022. The horticulture wing of the civic body will plant saplings of 85,000 trees and 520,000 shrubs this year, showed data released by the corporation on Sunday.

A senior municipal official from the horticulture department said due to shortage of space, existing parks, regional offices, schools, dispensaries, roadsides, community centres have been identified for the plantation drive. "In east Delhi, we had carried out Miyawaki plan-

Japanese roots in Delhi



WHAT'S A MIYAWAKI FOREST?
Pioneered by the Japanese Botanist Akira Miyawaki, the forests have thousands of native tree species grown closely together in a small patch of area in a manner that the greens receive sunlight only from the top and they grow upwards, instead of sideways. In comparison to a conventional forest, a Miyawaki forest is not only several times denser, but it can also be ready in two to three years.

tation near Mayapuri Vihar around a year ago. We are satisfied with the progress. Five more such Miyawaki mini-forests will be

developed in east Delhi," said the official.

"This year, mini forests with high density plantation will be

developed at 20 locations. Maximum number of high-density plantation hotspots will be developed in Keshavpuram zone, where seven sites have been selected for the project," said the senior official.

In terms of distribution of the 85,000 new trees, the two zones in east Delhi (Shahdara north and Shahdara south) will get saplings of 20,000 trees.

Space crunch in east Delhi

The two zones under East Delhi have the highest proportion of unplanned areas (over 80%) with relatively fewer parks and green belts, posing a serious challenge to the target of increasing green cover in the area. Out of more than 15,000 parks under MCD, around 15% parks are located in east Delhi.

The civic body will plant sap-

lings of 20,000 trees and 80,000 shrubs in the region. A senior horticulture official from east Delhi said that the corporation will focus on filling the gap between existing trees, replacement of dead trees and increasing the green cover in 92 parks, which have been handed over to the EDMC by the Delhi Development Authority (DDA) last year.

"In comparison to other parts of the city, the space available in east Delhi is minimum as most of the colonies have come up in an unplanned manner. We can only plant new trees along footpaths, central verges and gaps between boundary walls of parks. No new major road stretches have come up in east Delhi so Miyawaki forest technique is ideal in terms of developing dense mini-forests in existing spaces," said the official.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MAY 30, 2022

MCD to go beyond parks to plant 85k saplings

Vibha Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: With a target to plant nearly 85,000 saplings and 5.2 lakh shrubs this year, Municipal Corporation of Delhi (MCD) has decided to utilise its open spaces at dispensaries, community halls, schools, zonal offices, colonies, roads, etc for the purpose, in addition to public parks.

Officials said a majority of the parks did not have enough spaces to accommodate more saplings and, therefore, they had identified new sites. However, the civic body had singled out some parks/barren land in the middle of congested areas, wherein dense plantation would be done to develop mini-forests.

The erstwhile east corporation had identified three sites for dense plantation using Miyawaki technique this year.

"We have submitted a target to plant 20,000 saplings in Shahdara north and south zones to the Delhi government forest department. The remaining 80,000 would be shrubs.

EXPANDING GREEN COVER

THE TARGET

To plant
85,000
trees

5.2 lakh
shrubs and
ornamental
plants

BY WHEN
2022-23

HIGHLIGHTS

- > Plants of indigenous varieties like neem, pilkhan, pipal, jamun, fig, etc, being planted because of high survival rate
- > Recently transferred sites/parks from DDA to be used too
- > With space in parks exhausted, dispensaries, regional offices, community

halls, schools, etc, to be used for plantation

- > In Shahdara south and north zone, 92 parks were transferred from DDA last year

- > MCD developed 21 'mini-forests' till last year

- > 20 more mini-forests to be developed this year



Shikha

plans to develop five more at Nandnagri, Sunder Nagri, Yamuna Vihar and Welcome.

"These sites are being developed by an NGO without any investment from the corporation. They are using the (Miyawaki) technology, which helps in faster growth of plants. At GT Colony the saplings have crossed the height of eight feet and soon these will turn into dense areas," said the official.

Plans are also afoot to develop 15 open sites/parks into mini-forests spread over 31 acres in three zones under the erstwhile north corporation. In phase-I, it had developed 18 large parks into mini-forests spread over 31.6 acres.

"We planted about 8,000 additional saplings at 18 places last year. An almost similar number will be planted at the new sites also. However, we are not going for the Miyawaki technique and are stressing upon keeping a distance between two plants so that the roots and canopy can grow properly. To avoid wild growth, grass and related

plants will be grown," said Ashish Pradarshi, horticulture director (III), MCD.

The mini-forests have proper boundaries and gates with no benches to dissuade walkers from sitting unnecessarily. "Plants of indigenous varieties like neem, pilkhan, pipal, jamun, fig (Ficus religiosa), etc are being planted because their survival rate is high," said the official.

The corporation is making arrangements to ensure sufficient water supply in these parks for the first three years and simultaneously trying to pool in NGOs for their annual maintenance.

To check the survival rates of saplings planted in the past five years, the corporations had got a third party audit done. South and east corporations had engaged India Agriculture Research Institute, Pusa Road, to conduct the audit. North corporation got the audit done by Forest Research Institute, Dehradun, in which around 75% of the saplings were found to have survived at 16,102 parks.

We have already prepared 25,000 saplings (more than the requirement) of indigenous breeds at our nurseries and about 65,000 shrubs. Their plantation will start with the beginning of monsoon. The rest of the shrubs will be pro-

cured soon," said RK Singh, horticulture director (II).

In both the zones, three mini-forests were developed till the last financial year, including at Mayapuri Vihar, GD Colony and Ghazipur. In this financial year, there are

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

हिन्दुस्तान

DATED

नई दिल्ली
सोमवार
30 मई 2022

डीडीए ने मास्टर प्लान में संशोधन किया, एफएआर भी बढ़ाया

प्लैट की संख्या के बराबर पार्किंग स्थान रखना जरूरी

बदलाव

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। कार पार्किंग की परेशानी दूर करने के लिए पार्किंग बनाने के नियमों में डीडीए की ओर से बदलाव किया गया है। इसके तहत एफएआर बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। वहीं, ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में जितने आवासीय प्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखना अनिवार्य होगा।

यह बदलाव दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के जरिए किया गया है। डीडीए की ओर से किए गए संशोधन के तहत पार्किंग स्थल के लिए वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊंचाई पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया है। साथ ही बहुमंजिला कार पार्किंग बनाने के लिए सड़कों की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर तक की गई है। अब तक नौ मीटर तक की सड़कों पर भी मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाई जा रही थी।

ये नए मापदंड होंगे। संशोधित प्रावधान में बहुस्तरीय कार पार्किंग प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी जैसे यातायात पुलिस व अन्य निकायों के अनुरोध प्रमाणपत्र की

क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा



अभी प्लॉट का कुछ फीसदी हिस्सा पार्किंग स्थल के रूप में खाली छोड़ा जाता है। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आवासीय की संख्या न देखकर, प्लॉट के आकार के अनुरूप पार्किंग स्थल तय किए जाते हैं। लेकिन, नए नियमों के तहत जितने आवासीय प्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखना अनिवार्य होगा। पार्किंग के लिए स्थान तय करते वक्त आवासीय इकाइयों के क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु

- आवासीय परिसर में वाहन पार्क करने की सुविधा मिलेगी
- गाइडेंस की पार्किंग के लिए स्थान तय हो सकेगा
- सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या कम होगी

ये बदलाव होंगे

- एफएआर की सीमा में बदलाव किया गया है
- नए बनने वाले पार्किंग स्थलों की क्षमता बढ़ सकेगी
- 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर मल्टीलेवल पार्किंग नहीं



मौजूदा समय में यह स्थिति है

दिल्ली में मौजूदा समय में लगभग सवा करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। वाहनों की संख्या के हिसाब से दिल्ली में महज एक प्रतिशत वाहनों के लिए पार्किंग क्षमता मौजूद है।

- 62 हजार के करीब वाहन पार्किंग क्षमता है नियम की
- 18 हजार वाहनों की क्षमता है दिल्ली मेट्रो पार्किंग की
- 20 हजार वाहनों के पार्किंग की क्षमता अन्य विभागों की है

जरूरत होगी। वहीं, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्गमीटर होना चाहिए। एक हजार से तीन हजार वर्गमीटर के आकार के भूखंड पर 100 एफएआर (फ्लोरएरिया अनुपात) की

अनुमति होगी। तीन से 10 हजार वर्गमीटर तक के भूखंड पर एफएआर 60 होगा। 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की शेष भूमि पर एफएआर 50 होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
SATURDAY, MAY 28, 2022



the pioneer

NEW DELHI | SATURDAY | MAY 28, 2022

DDA amends MPD-2021 for new car parking projects

New norms will reduce congestion, says official

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Agencies responsible for the maintenance of multilevel car parking (MLCP) projects are required to take measures to discourage on-street parking around the MLCPs, according to a recent amendment to the Master Plan for Delhi-2021 (MPD-2021).

According to the amendment introduced by the Delhi Development Authority (DDA), agencies operating MLCPs are responsible for the on-street parking of at least 500 metres around their buildings.

"Suitable measures have to be taken by the management agency to discourage on-street parking around the

MLCPs by means of increased parking charges (at least 3 times that of MLCP) and other measures," read the amendment, which was part of a notification issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, with effect from May 12.

"The amendments were brought in for more clarity over the commercial component in new MLCPs, but some of these norms are also aimed at reducing congestion," a senior DDA official said.

The new norms have lifted the limit on the car parking building's height and the number of basements. "The height shall not be restricted, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service

and other statutory bodies," the amendment read. The norms also lay guidelines on the permissible floor area ratio (FAR) – ratio of the building's total floor area to the size of the land upon which it is built – for the car parking spaces.

For plots measuring up to 3,000 square metres, the agency developing the facility can avail of a permissible FAR of 100. However, for plots above 3,000 square metres, an FAR of 100 is allowed for the first 3,000 square metres, followed by an additional FAR of 60 on the remaining land.

Previously, the FAR was capped at 100, however, the minimum plot size required is still 1,000 square metres.

NDMC gets new Chairman

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Bhupinder Singh Bhalla, a 1990 batch IAS officer has been appointed as the new Chairman of the New Delhi Municipal Council (NDMC). He succeeds Dharmendra, a 1989-batch officer, as the civic body Chairman. Bhalla, is currently Additional Chief Secretary of Delhi.



and English) issued in this regard is enclosed for its publication in Delhi Gazette, Extraordinary. It is further requested that Dharmendra, IAS (AGMUT-1989) may be relieved with effect from 27.05.2022. Further, Bhupinder Singh Bhalla may be directed to take over charge of post of Chairman, N D M C immediately," the order further stated.

The Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday issued an order to this effect. According to order issued by MHA, it is decided to appoint Bhupinder Singh Bhalla, IAS (AGMUT-1990), as Chairperson, New Delhi Municipal Council (NDMC) with effect from 27.05.2022.

"The notification (Hindi

Bhalla succeeds Dharmendra, a 1989-batch officer, as civic body chairman, who has worked over ten years in Urban Sector in Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India and DDA.

millenniumpost

NEW DELHI | SATURDAY, 28 MAY, 2022

Change in MPD-2021 norms to regulate commercial dev at new parking sites

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority has brought an amendment in the Master Plan for Delhi 2021 (MPD-2021) to regulate commercial development at new multi-level car parking sites besides the height restriction has been done away with subject to clearance from statutory bodies, officials said on Friday.

Modified provisions also mandate that "MLCP (multi-level car parking) plots shall be located on roads with RoW (right of way) of 12 m and above, subject to feasibility report from a competent agency and NOC from traffic



police and other statutory bodies," as per a gazette notification issued by the Union government recently.

"Whereas, certain modifications which the central government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2022(F)

dated 25.05.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice," it said.

"Whereas, no objections/suggestions have been received with regard to the proposed modifications," the statement said.

Therefore, the government has made some modifications in the MPD-2021 with effect from the date (May 12) of publication of the gazette notification,

it added.

"In order to compensate the cost of multi-level parking and also to fulfill the growing need of parking spaces within urban area, a maximum of 25 per cent of gross floor area may be utilised as commercial or office space," as per the earlier norm, mentioned in the notification.

According to the new norms, while the minimum plot size has to be of 1,000 sqm, 100 FAR (floor area ratio) would be allowed on plots of the size of 3,000 sqm. On plot sizes above 3,000 sqm, FAR provided for the balance land would be 60, up to 10,000 sqm. Any balance land above 10,000 sqm in a plot will have 50 FAR.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

28 मई • 2022

सहारा

DATED

बहुस्तरीय पार्किंग के लिए डीडीए ने किया मास्टर प्लान-2021 में संशोधन

नई दिल्ली। राजधानी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान-2021 में संशोधन कर दिया है। डीडीए की संशोधित नीति के मुताबिक अब सभी बहुस्तरीय पार्किंग के प्लॉट 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर हो जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद सक्षम एग्रेसी, स्थानीय विकास एवं यातायात पुलिस से अनापति प्रमाण पत्र हासिल करने की जरूरत रहेगी। अब बहुस्तरीय पार्किंग के लिए कम से कम एक हजार वर्गमीटर का प्लॉट होने अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के नए भाग दंडों के मुताबिक बहुस्तरीय पार्किंग के प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल एक हजार वर्गमीटर हो। इसके साथ ही 3 हजार वर्गमीटर के प्लॉट पर 100 एफएआर की अनुमति होगी। तीन हजार 10 हजार वर्गमीटर के प्लॉट के लिए एफएआर 60 मिलेगा। 10 हजार वर्गमीटर के क्षेत्रफल से अधिक वाले प्लॉट के लिए 50 एफएआर निर्धारित किया गया है। खासकर यह है कि डीडीए ने ऊँचाई पर लगी रोक हटा दी है।

फैसले का स्वागत

नई दिल्ली। राजधानी के सिख नेता सरदार भगिंदर सिंह सिग्ग्या ने 1991 में पोलोभौत में 11 वेगुनाह सिखों का कत्ल करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के 34 कर्मचारियों की इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जमानतें रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। यह जारी एक बयान में सरदार भगिंदर सिंह सिग्ग्या ने कहा कि अत्याचार का जमानतें रद्द करने का फैसला सारे देश में एक संदेश है कि बेरहमी के साथ किए गए गुंडागैरी के मामले में कोई छील नहीं दे आएगी और सच्चा से सच्चा कार्रवाई होगी।

अमर उजाला

नए पार्किंग स्थलों के वाणिज्यिक विकास के लिए मास्टर प्लान में संशोधन

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर वाणिज्यिक विकास को विनियमित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) में संशोधन किया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल के लिए वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊँचाई पर लगी पकौटी को भी हटा दिया गया है। संशोधित प्रावधान में बहुस्तरीय कार पार्किंग प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिए सक्षम एग्रेसी की व्यवस्था रिपोर्ट और यातायात पुलिस व अन्य वैधानिक निकायों के अनापति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।

नए मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्ग मीटर होना चाहिए। 3,000 वर्ग मीटर के आकार के भूखंड पर 100 फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) की अनुमति होगी, जबकि 3,000 से 10 हजार वर्ग मीटर तक के भूखंड पर एफएआर 60 होगा और 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की श्रेणी भूमि पर एफएआर 50 होगा। बहुस्तरीय पार्किंग की लागत की भरपाई करने के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत वाणिज्यिक या कार्यालय स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। व्यू

पंजाब केसरी

नए पार्किंग स्थलों के वाणिज्यिक विकास को लेकर संशोधन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर वाणिज्यिक विकास को विनियमित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) में संशोधन किया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल के लिए वैधानिक निकायों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में ऊँचाई पर लगी पकौटी को भी हटा दिया गया है। संशोधित प्रावधान में एमएलसीपी (बहुस्तरीय कार पार्किंग) प्लॉट ऐसी सड़कों पर स्थित होंगे, जिनकी चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके लिए सक्षम एग्रेसी की व्यवस्था रिपोर्ट और यातायात पुलिस व अन्य वैधानिक निकायों के अनापति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। नए मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम भूखंड का आकार 1,000 वर्गमीटर होना चाहिए। 3,000 वर्गमीटर के आकार के भूखंड पर 100 एफएआर (फ्लोर एरिया अनुपात) की अनुमति होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

अमर उजाला

DATED 29-05-2022

खोजा वाला पार्क की 25 एकड़ भूमि पर विकसित होगी नर्सरी

उपराज्यपाल ने डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों को दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उपराज्यपाल बंकिम लाल सक्सेना लगातार तीसरे दिन भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। दिल्ली की अपनी पहली स्वीडिश स्तर की नर्सरी प्रदान करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने अशोक विहार स्थित खोजा वाला पार्क की 25 एकड़ भूमि पर नर्सरी के लिए डीडीए को एक समझ के अंतर्गत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

प्रस्तावित नर्सरी न केवल दिल्ली की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य और व्यापक संरक्षण के रूप में काम करेगी, बल्कि दिल्ली के नागरिकों और अतिथियों के लिए पर्यावरण वर्धन के लिए एक परवर्द्धित स्थल भी बनेगी। करीब 25 एकड़ में फैली खोजा वाला भूमि के विकसित होने पर नर्सरी



निरीक्षण के साथ अधिकारियों से बातचीत करते उपराज्यपाल। अमर उजाला

में सरकारी प्रोजेक्टों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों द्वारा उपर्युक्त के लिए व्यापक स्वदेशी, औद्योगिक, निदेशी, गैरनिदेशी और स्थलाकृतिक के अनुकूल वनस्पतियों की विभिन्न किस्में होंगी। इसमें हरे-भरे हरियारी भेष, कैप्टेरिया, पैदल मार्ग, सार्वजनिक उपयोगिताओं और तट-तट के फूल भी होंगे। प्रधानमंत्री अवकाश योजना के तहत डीडीए की

नेलर जला माग इन-सीड स्लम पुनर्वासि परियोजना के ठीक बरतार में स्थित नर्सरी न केवल सस्ती खोपट बगीचे को एक बेहतर पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि अशोक विहार, बजौरापुर समेत अलग-अलग कॉलोनीयों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए व्यापक और मनोरंजन स्थल की नई सुविधा भी प्रदान करेगी।

L-G SAXENA INSPECTS SITE

25-acre nursery planned in Delhi

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Saturday inspected a 25-acre horticultural plot in the city where a "world-class" nursery and eco-tourism hub is planned to be set up, officials said.

Saxena instructed the Delhi Development Authority (DDA) to put forth a plan of action for it with concrete timelines within a week, the Raj Niwas said in a statement.

"With the objective of providing the national capital with its first world-class nursery and eco-tourism hub, Lieutenant Governor V K Saxena today (Saturday) went on a site inspection of various locations across the

national capital," it said.

"The proposed nursery will not only serve as a common and extensive resource pool for sourcing horticultural requirements of the city but also as a favoured destination for eco-tourism for residents and visitors, the officials said.

Having zeroed in on a 25-acre plot of land in Khoja Wala Bagh Ashok Vihar, Saxena, who had earlier described himself as "Delhi's local guardian", issued instructions to the land owning agency to put forth a plan of action within a week's time, the statement said.

The lieutenant governor (L-G) was accompanied by the special officer and the commissioner of the MCD, vice-chairman of the DDA, and other

senior officers of departments concerned.

"The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment of land and create a green space where different tenets of sustainable development could co-exist," the Raj Niwas statement said.

Spread over existing fallow and wasteland, the nursery once developed will have different varieties of indigenous ecology and topography-compliant medicinal and exotic flora available for use by government agencies as well as citizens, it said.

It will also house landscaped greens, cafeteria, walkways, public utilities and an inherent flower display that would serve as a recreational

destination and tourist attraction for people of the city and visitors, the statement added.

Situated right beside the Jailor Wala Bagh 'in-situ slum rehabilitation' project of the DDA under the flagship Pradhan Mantri Awas Yojna Scheme, the nursery will not only provide an enhanced eco-friendly environmental experience to the most deprived sections, but will also serve as a go-to health and recreational destination for surrounding areas, the officials said.

Being developed in the heart of the Wazirpur industrial area, this green patch will go on to serve as the "much-needed oxygenating lungs of the hitherto polluted neighbourhood", the statement said.

दिल्ली में 25 एकड़ क्षेत्र में नर्सरी बनाने की योजना

नई दिल्ली (भाषा) उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शनिवार को महानगर में 25 एकड़ में फैले एक जगहानी प्लॉट का निरीक्षण किया, जहाँ 'विश्व स्तरीय' नर्सरी और पारिस्थितिकी-पर्यटन हब बनाने की योजना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

राज निवास ने एक बयान में कहा कि सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक सप्ताह के भीतर ऐसा समयसूची के साथ इसके लिए एक कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी को अपनी पहली विश्व स्तरीय नर्सरी देने के उद्देश्य से

उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आज शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। यह नर्सरी पारिस्थितिकी-पर्यटन हब भी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्तावित नर्सरी न केवल दिल्ली की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साझा और जगह संसाधन पूल के तौर पर काम करेगी बल्कि निवासियों और पर्यटकों के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन का एससीडी स्थल भी होगी। खोज वाला बाग, अशोक विहार में 25 एकड़ की जमीन का निरीक्षण करते हुए सक्सेना ने डीडीए को एक हफ्ते के भीतर कार्य योजना पेश करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल एससीडी के विशेष अधिकारी और आयुक्ता, डीडीए के उपस्थिति और संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गए थे। राज निवास ने एक बयान में कहा, 'हमका मकसद इस्तेमाल न होने वाली जमीन का धरण होने से बचना, जमीन पर अतिक्रमण को रोकना और ऐसा हरित क्षेत्र बनाना है, जहाँ सतत विकास के विभिन्न सिद्धांत एक साथ रह सकें।' बयान के अनुसार, इस नर्सरी में हरियाली, कैफेटेरिया, सैर करने के रास्ते, सार्वजनिक सुविधाएँ होंगे जो शहर के लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

■ उपराज्यपाल ने किया स्थल का निरीक्षण

THE HINDU
SUNDAY, MAY 29, 2022

L-G proposes 25-acre 'world-class' nursery

It will be developed as eco-tourism hub

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Saturday ordered the Delhi Development Authority (DDA) to come up with a concrete timeline for developing a "world-class" nursery in north-west Delhi.

According to a press release from Raj Niwas, a 25-acre plot situated in Khoja Wala Bagh at Ashok Vihar was identified for the purpose during a site inspection drive by the L-G.

Apart from serving as an extensive resource pool for sourcing horticultural requirements of the city, the nursery will also be a favoured destination for eco-tourism, Raj Niwas said.

"The idea is also to prevent degradation of unused land, check encroachment of land and create a green space where different tenets of sustainable development

could co-exist," a senior Raj Niwas official said.

Spread over 25 acres of existing fallow and wasteland, the proposed nursery, once developed, will have different varieties of indigenous, medicinal, exotic, ecology and topography-compliant flora available for use by government agencies as well as citizens.

To attract more visitors, several features such as landscaped greens, a cafeteria, walkways, public utilities and an inherent flower display have been proposed for the facility.

"Being developed in the midst of the Wazirpur industrial area, this green patch will go on to serve as the much-needed oxygenating lungs of the hitherto polluted neighbourhood," the official said, adding that a heavy footfall is expected from residents of nearby areas.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER **दैनिक भास्कर** नई दिल्ली, रविवार 29 मई, 2022 '02

DATE

एलजी ने डीडीए को दिए आदेश खोजावाला बाग में 25 एकड़ में एक सप्ताह में नर्सरी बनाएं, सड़क किनारे हरा-भरा हो बागवानी के साथ लोगों के लिए बनेगा ऑक्सीजन 'हब'

भास्कर न्यूज़ नई दिल्ली

आने वाले कुछ माह में ही अब दिल्ली में सड़कों पर गंदगी, बदरंग जंग खाती लोहे की छिले दिखने के जगह सड़कें, चौराहों, गोल चक्करों, उद्यानों में घटक रंग की रंग बिरंगी देशी-विदेशी फूलों, फूलदार झाड़ियों, छायादार और फूलदार वृक्ष दिखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज देश की राजधानी दिल्ली को इको-टूरिज्म हब बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दिल्ली में पहला विश्व स्तरीय नर्सरी तैयार करने का आदेश दिया है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को राष्ट्रीय अशोक विहार में स्थित खोजा वाला बाग में 25 एकड़ के भूखंड को एक सप्ताह में समतल कर विश्व स्तरीय नर्सरी बनाने का आदेश दिया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल के साथ डीडीए के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, एससीडी के विशेष अधिकारी अरुण कुमार, एससीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इको-टूरिज्म हब बनाने के लिए डीडीए को दिल्ली में पहली विश्व स्तरीय नर्सरी तैयार करने का आदेश दिया।

बंजर भूमि पर उगाए जाएंगे फूल और पौधे

अशोक विहार में पीएमएनई के तहत डीडीए की जेलर वाला बाग 'इन-सोडू सलम पुनर्वास' परियोजना के तहत डीडीए द्वारा निर्मित इस 25 एकड़ के नर्सरी में सरकारी स्थानीय निकायों, सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ दिल्ली की जनता के उपयोग के लिए भी यहां पौधे उपलब्ध होंगे। इस नर्सरी में स्पदेशी, औषधीय वृक्ष वाले देशी व विदेशी पौधों के अलावा फूलों, फलदार व फूलदार देशी विदेशी पौधे, फूलदार झाड़ियों के अलग-अलग किस्में लगाई जाएंगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि प्रस्तावित नर्सरी न केवल शहर की बागवानी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए ऑक्सीजन 'हब' भी बनेगा। आस-पास के नगरिकों और आंगणवाड़ियों के लिए पर्यावरण पर्यटन के लिए यह नर्सरी भविष्य में पर्यावरण स्थान के रूप में उभरेगी। अशोक विहार, वजीरपुर, शाहीमार्ग बाग, आजादपुर और उत्तरी दिल्ली की अन्य आवासीय कॉलोनियों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन स्थल के रूप में भी काम करेगा। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित होने के कारण, यह इतना पैच अब तक प्रदूषित पड़ोस के बहुत आवश्यक ऑक्सीजन युक्त फेकड़ों को स्वस्थ करने का काम करेगा।

कल्पतरु के अंतर्गत 40 लाख पौधों का वृक्षारोपण करेगी ब्रह्माकुमारी संस्था

नई दिल्ली | लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परीरास की उच्चायुक्त एसबी हनुमानजी, मंगोलिया के राजदूत गणपतिलाल डेबजाव के साथ करुणा और दया का संदेश देते हुए ब्रह्माकुमारी संस्था के द्वारा देश भर में कल्पतरु थीम के अंतर्गत 40 लाख से अधिक पौधे लगाने के लिए कल्पतरु थीम सांग की शुरुआत की। दिल्ली के तात्कालिक स्टेडियम में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने ब्रह्माकुमारी के अंतरिक्ष महाप्रचारक श्रीके वृक्षमोहन एवं ओआरसी की निदेशिका श्रीके आशा दीदी के साथ एक एप को भी लॉन्च किया और इस अभियान का शुभारंभ भी किया।



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER **पंजाब केसरी** 29 मई, 2022 DATED

कवाकल्प की योजना : एलजी ने अशोक विहार स्थित खोजा वाला बाग का किया दौरा, दिए योजना की रूपरेखा बनाने के निर्देश

डीडीए बनायेगा विश्वस्तरीय नर्सरी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : नये एर की लम्बे-दूरी सफाई की दिल्ली के उपराज्यपाल निवास सम्मेलन राजधानी के विकास एवं कवाकल्प के लिए अने चर्चाकर सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल श्री. सनसेना ने सविचार की योजना वाला बाग अशोक विहार में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन का निरीक्षण किया। यहां खोजा की 25 एकड़ छाती जमीन पर विश्वस्तरीय नर्सरी तैयार की जाएगी। यहां बनने वाली नर्सरी में न सिर्फ देशी-विदेशी पौधों को तैयार किया जाएगा, बल्कि इसे खनकाने में इन्को टूरिज्म का केंद्र भी बनाया जाएगा। एलजी ने: सनसेना अधिकारियों के साथ लगातार सल्लोच के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने सविचार की अशोक विहार क्षेत्र में खोजा की खाली जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां विश्वस्तरीय नर्सरी और इन्को टूरिज्म का केंद्र बनाने के निर्देश दिए। एलजी ने एक सलाह के भीतर डीडीए की इस पूरी योजना की रूपरेखा तैयार करने को कहा। नर्सरी में स्थानीय प्रजाति के साथ-साथ विदेशी और दुर्लभ प्रिन्स के पौधों को तैयार किया जाएगा। जिनसे सांस्कृतिक



अधिकारियों के साथ चर्चा करते उपराज्यपाल निवास कुमार सनसेना।

विषयों के साथ साथ नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। नर्सरी में कैपेसिटी और पैलस गप भी बनवा जाएगा, बल्कि लोग यहां पर लुलुनुमा पकड़ डिला सकें। पर्यटन के लिहाज से भी इसे एक आकर्षक जगह के तौर पर तैयार किया जाएगा। नर्सरी के लिए चुने गई यह जगह नर्सरीपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसलिए, इस पूरी जगह को हरा-परा बनाने में लोगों को लाइट ऑनमोडन भी मिल सकेगी। इससे लोगों को कुछ हद तक प्रदूषण से भी बचवा जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान एलजी की विशेष अधिकारी, श्रीमती उपराज्यपाल, निवास आनुराधा त्रिपाठी और अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।



डीडीए की जमीन का निरीक्षण किया गया।

एलजी के दौरे के बाद हरकत में आया एमसीडी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के उपराज्यपाल निवास कुमार सनसेना द्वारा दिए जा रहे दौरों को देख दिल्ली नगर निगम ने समर्पण अधिकार को देते हुए दिया है। सविचार की निगम के समर्पण कर्मचारी सड़कों पर दिखाई दिए, बड़ी अधिकारी भी मौके पर रहे। इस समय में दिल्ली नगर निगम के बड़े अधिकारी ने बताया कि वीथी दो दिनों में सफाई-सफाई को लेकर उपराज्यपाल निवास को फटकार लगाई है। फटकार के बाद निगम ने सफाई को और बेहतर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सविचार को सड़क जंग में पैदा झुआ से सड़कजंगल तक और हाइका रोड पर विशेष सल्लोच अधिकार बनाना। इस दौरान समर्पण कर्मचारी ने सड़कों की सफाई करने के साथ आसपास के क्षेत्रों में सड़क भी हटाई। वहीं अन्य अधिकारी ने बताया कि निगम के जमी 12 जंग में सड़क सफाई को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के स्लॉट अधिकार ने आदेश दिया है कि सड़क अधिकार को और तेज किया जा, जिससे लोगों को सड़क सुगंध मिल सके। इसके अलावा कुछ निवास को और तेज किया जाए।



पर्यटन का केंद्र बनेगी नर्सरी

अधिकारियों ने बताया कि यह नर्सरी न केवल शहर की खानदानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समान्य और व्यापक सल्लोच पूरा के रूप में काम करेगी, बल्कि इससे दिल्ली के लोगों और आगंतुकों के लिए पर्यावरण पर्यटन के लिए एक पर्यटन गंतव्य के रूप में भी काम करेगी। साथ ही इससे उपलब्ध भूमि के कारण को रोचक, भूमि के अधिकारण की जांच करने और एक हरित स्थान बनने सहायता मिलेगी।

मिलेगी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं

एलजी की आवास योजना (पीएसवाई) के तहत डीडीए की जंगल वाला बाग इन-सीट स्लॉट पुनर्वास परियोजना के तहत कलस में स्थित यह नर्सरी न केवल सड़कों वीथी वगैरह को पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरणीय अनुभव बनाने करेगी, बल्कि अशोक विहार, पत्नीपुर, सातोगार बाग, आनुराधा और उत्तरी दिल्ली की अन्य आवासीय कॉलोनीजों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए सल्लोच और मनोरंजन स्थल के रूप में काम करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: **पंजाब केसरी**

DATED: **30-05-2022**

बदहाली.... मधु विहार बस स्टैंड के पास गड्ढे की चपेट में आकर बाइक सवार की हो चुकी है मौत

द्वारका: खतरनाक गड्ढे मौत को दे रहे दावत

दक्षिणी दिल्ली, (पंजाब केसरी) - एशिया की सबसे बड़ी उपनगरी द्वारका की मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। आसम यह है कि यहां आर दिन लोगों के वाहन गड्ढे में पड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। इससे लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।

कुछ माह पहले ही एक बहक सवार की गड्ढे के कारण मौत भी हो चुकी है। इसके जवजुद डीडीए के अधिकारी सुल्ल बैठे हुए हैं। द्वारका के कई रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको शिकायत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मंगलापुरी को लिखित में दे चुके हैं। आरोप है कि डीडीए ने द्वारका की मुख्य सड़कों को कई सालों से नहीं बनाया है। इस कारण यह जर्जर हो चुकी है। यहां तक की द्वारका में ऐसी कोई सड़कें नहीं हैं जहां गड्ढे न हों। लोगों का आरोप है कि रोड नंबर 201 की सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। एक साल से इन सड़कों पर गड्ढे हैं, लेकिन डीडीए ने इन सड़कों को बनवाने से दूर गड्ढे तक को परवाना मुनसिब नहीं समझ रहे हैं। द्वारका उपनगरी को बसे लगभग



➔ द्वारका की मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं।

तीस साल हो गए हैं। यहां की रोड नंबर 201 की सड़क मुख्य मार्ग है। यह सड़क दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, एयरपोर्ट व अन्य मुख्य मार्गों को जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इस सड़कों को लोग दिल्ली देहात नजफगढ़ व कई गांवों समेत हरियाणा जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ प्रमुख अपार्टमेंट, कई निजी स्कूल, मॉल, औद्योगिक क्षेत्र, डीडीए

कॉलेज व सरकारी दफ्तर भी हैं। ये सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अक्सर इसके चपेट में आकर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डेढ़ माह पहले मधु विहार बस स्टैंड के पास एक बाइक सवार की गड्ढे की चपेट में आने से मौत तक हो चुकी है। रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन मधु विहार द्वारका के अध्यक्ष रामबीर सिंह सोलंकी ने बताया

द्वारका की सड़कें और गड्ढों से संबंधित समस्याओं की सूचना भेरे संज्ञान में है। इन समस्याओं से संबंधित अधिकारी को बता दिया जाएगा।

-संजय खरे, चीफ इंजीनियर, डीडीए

संबंधित अधिकारी से नहीं हुआ संपर्क

डीडीए द्वारका के एजीक्यूटिव इंजीनियर पीके जैन द्वारका की सड़कें और गड्ढों का काम देखते हैं। इन बाबत जब उनसे फोन पर संपर्क किया गया तो उनका फोन स्वीच ऑफ था।

कि जर्जर सड़क और गड्ढे को मरम्मत कराने को लेकर वह कई बार डीडीए के चीफ इंजीनियर को पत्र लिख चुके हैं। जवजुद मरम्मत नहीं कराई गई है। अंतर्गत के सामने वह कई बार बाइक व स्कूटी सवार को गिरते हुए देखा है। उन्होंने डीडीए से पता की है कि वह जल्द इन सड़कों और गड्ढों को मरम्मत कर दें, ताकि लोगों की जान बच सके।

28 अगस्त तक पंजीकृत करा सकेंगे जमीन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अब किसान आगामी 28 अगस्त तक अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन को डीडीए के पास पंजीकृत करा सकेंगे। डीडीए ने जूनियर



को लैंड प्लानिंग पोर्टल को तीन महीने के लिए एक ज्वर फिर खोल दिया। लैंड प्लानिंग पोर्टल में कुछ बदलाव के बाद इसे फिर खोला गया है। फलस्वरूप पोर्टल को बंद कर दिया गया था। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2018 को लैंड प्लानिंग नीति को अधिसूचना जारी की थी। शुरूआती

दौर में कुछ गांवों की जमीन को शहरी जमीन क्षेत्र का हिस्सा न होने के कारण इसके दायरे में नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में कुल 109 सेक्टरों में विभाजित कर इस योजना को छह जोन में बांट दिया गया। योजना के तहत दिल्ली में 17 लाख आवास बनाए जाने हैं। जेन पी 2 में सेक्टर दो व तीन, जेन एन में सेक्टर 10 और जेन एल में सेक्टर तीन में जल्द किसानों के सरांस समूह बनाए जाएंगे। डीडीए ने विशेष पोर्टल भी बनाया है जिसके जरिये भू-स्वामी अपने दस्तावेज अपना आवेदन संबंधी जानकारी हस्तिल कर सकते हैं। योजना में जेन जे, के-1, एल, एन, पी-1 और पी-2 में आने वाले 104 गांव शामिल हैं। यह पूरा क्षेत्र 129 सेक्टरों में विभाजित है।